सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–। आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:– 2026 / 07 दर्ज तिथिः– 16.01.2026

1. मंगलसिंह पुत्र हनुमानाराम जाति मेघवाल निवासी गांव लादड़िया तहसील व जिला चूरू ।

................प्रार्थीगण

बनाम

1. ग्राम पंचायत खांसोली तहसील व जिला चूरू जरिये ग्राम विकास अधिकारी चूरू
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार चूरू

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– राजेन्द्र राजपुरोहित
अप्रार्थीगणः– अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 152 सी.पी.सी.
व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना–पत्र 152 सी.पी.सी. का पेश कर निवेदन किया कि

1. प्रार्थी की ओर से निवेदन किया गया कि न्यायालय हाजा का पत्रांक 2025 / 41 निर्णय दिनांक 11.11.2025 को निर्णय अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.ए. का पेश किया गया। जिसमें निर्णय के पैरा संख्या 01 में खसरा नम्बर 1243 / 1039 के स्थान पर 1245 / 1039 व पैरा संख्या 07 में आदेश में नामान्तरण संख्या 2403 दिनांक 23.05.2025 के स्थान पर नामान्तरण संख्या 2531 दिनांक 27.05.2025 गलत अंकित किया गया है। जिसके कारण आगामी इन्तकाल कार्यवाही निर्णय पालना नहीं हो रही है। वनिर्णय में दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। व प्रार्थना पत्र माननीय अदालतवाला के क्षेत्राधिकार क्षेत्र पर पेश है।

   अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि माननीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.11.2025 अपील अनुवानी मंगलसिह बनाम ग्राम पंचायत वगैरह न. मु. 41 / 2025 के संख्या 01 में खसरा नम्बर 1039 के स्थान पर 1243 / 1039 दुरूस्त व पैरा संख्या 07 के आदेश में नामान्तरण संख्या 2531 दिनांक 27.05.2025 के स्थान पर नामान्तरण संख्या 2403 दिनांक 23.05.2025 दुरूस्त एवं सही करने का आदेश प्रदान करें।

   प्रार्थना–पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजि. डाक सम्मन तलब किया गया जिस पर अप्रार्थीगण पर विधिवत तामील के बावजूद इनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई। जिस पर प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस सुनी जाकर पात्रावली का अवलोकन किया गया तथा प्रार्थना–पत्र मूल प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया तथा बहस पर गौर किया गया मूल प्रार्थना–पत्र जरिये दिनांक 03.04.2025 के खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:47 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर 1243/1039 तादादी 0.5058 हैक्टेयर रोही ग्राम रामसरा में से ये 0.1705 हैक्टेयर भूमि खरीद की गई थी जो वास्ते इन्तकाल हेतु प्रस्तुत करने पर इन्तकाल संख्या 2403 दिनांक 26.06.2025 को इन्तकाल खारिज करने पर एक अपील नं. मु. 41/2025 अनुवानी मंगलसिंह बनाम ग्राम पंचायत बगैरह पेश की गई थी जो माननीय अदालत वाला द्वारा बाद सुनवाई स्वीकार किया गया है निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि निर्णय के पैरा संख्या 02 में खसरा संख्या 1245/1039 व पैरा संख्या 06 में 1243/1039 अंकन किया गया है आदेश में के पैरा संख्या 01 01 में नामान्तरकरण संख्या 2403 दिनांक 23.05.2025 पैरा संख्या 04 में नामान्तरकण संख्या 2531 दिनांक 27.05.2025 अंकित किया गया है

2. प्रार्थीगण द्वारा धारा 152 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र पर विचार किया गया। प्रार्थना—पत्र, पत्रावली के अवलोकन एवं प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनीजाकर अभिलेख का सम्यक परीक्षण किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद रूप से परिलक्षित होता है कि इस न्यायालय द्वारा अपील अनुवानी मंगलसिंह बनाम ग्राम पंचायत वगैरह, प्रकरण संख्या मु. 41/2025, में पारित निर्णय दिनांक 11.11.2025 में कुछ लिपिकीय/लेखनात्मक त्रुटियाँ रह गई हैं। निर्णय के अवलोकन से यह पाया गया कि निर्णय के पैरा संख्या 01 में खसरा नम्बर 1243/1039 के स्थान पर त्रुटिवश 1245/1039 अंकित हो गया है। निर्णय के आदेश भाग (पैरा संख्या 07) में नामान्तरण संख्या 2403 दिनांक 23.05.2025 के स्थान पर त्रुटिवश नामान्तरण संख्या 2531 दिनांक 27.05.2025 अंकित हो गई है। उक्त त्रुटियाँ मात्र लेखनात्मक हैं तथा इनका निर्णय के गुण—दोष से कोई संबंध नहीं है, किंतु इनके कारण निर्णय की पालना एवं आगामी नामान्तरण / इन्तकाल कार्यवाही में व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न हो रही है। ऐसी त्रुटियों का सुधार किया जाना न्यायहित में आवश्यक है, जो कि धारा 152 सी.पी.सी. के अन्तर्गत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।

आदेश है कि

धारा 152 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, यह न्यायालय आदेशित करता है कि निर्णय दिनांक 11.11.2025 के पैरा संख्या 01 में अंकित खसरा नम्बर 1245/1039 के स्थान पर 1243/1039 पढ़ा जावे। निर्णय के आदेश भाग (पैरा संख्या 07) में अंकित नामान्तरण संख्या 2531 दिनांक 27.05.2025 के स्थान पर नामान्तरण संख्या 2403 दिनांक 23.05.2025 पढ़ा जावे। निर्णय के शेष सभी अंश यथावत् प्रभावी रहेंगे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 02.02.2026 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(सुनील कुमार— I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:47 IST
Reason: SelfAttested